# Dainik Tribune

## Banking seva ke vistar ki pahal

**Date: 05/09/2015 | Edition: Delhi | Page: 6 | Source: Satish Singh | Clip size (cm): W: 22 H: 19**

**Clip: 1 of 1**


भुगतान बैंक

# बैंकिंग सेवा के विस्तार की पहल

सतीश सिंह

भुगतान बैंक के लिए आये 41 आवेदनों में से 11 आवेदकों को रिजर्व बैंक ने हाल ही में लाइसेंस दिया है। लाइसेंस पाने वालों में आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड, एयरटेल एम-कामर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, वोडाफोन एम-पैसा, भारतीय डाक विभाग, नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, फिनो पे टेक लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लिमिटेड, दिलीप सिंघवी (सन फार्मास्युटिकल के संस्थापक) और विजय शंकर शर्मा (पेटीएम के सीईओ) हैं।

लाइसेंस प्राप्त आवेदकों को 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ 18 महीनों के अंदर परिचालन शुरू करना होगा। प्रवर्तकों को आरंभ में ही पांच साल तक के लिए कम से कम 40 प्रतिशत अपना न्यूनतम योगदान देना सुनिश्चित करना होगा। वैसे, चार सालों के अंदर शुरुआती पूंजी को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का भी प्रस्ताव है। इस बैंक पर अन्य बैंकों की तरह सीआरआर सुनिश्चित करने की भी बाध्यता रहेगी।

मौजूदा बैंक नकदी जमा और निकासी पर लेन-देन शुल्क नहीं लेते हैं, जबकि भुगतान बैंक जमा राशि का इस्तेमाल कर्ज देने में नहीं कर सकेंगे। भुगतान बैंक लाभ अर्जित करने के लिये लेन-देन पर शुल्क लगायेंगे। रिजर्व के निर्देशानुसार भुगतान बैंक में चालू एवं बचत खाता के तहत एक लाख रुपये तक की जमाएं स्वीकार की जा सकेंगी। यह बैंक एटीएम या डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा दे सकेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड एवं कर्ज देने की अनुमति इसे नहीं होगी। इस बैंक को एक साल तक की परिपक्वता वाले सरकारी बॉन्डों में उनकी मांग का न्यूतनम 75 प्रतिशत निवेश करना अनिवार्य होगा, जबकि अधिकतम 25 प्रतिशत जमाएं बैंकों के सावधि व मियादी जमाओं के रूप में

रखी जा सकेंगी। भुगतान बैंक में रकम जमा और निकासी की जा सकेंगी। यह चेकबुक जारी करने एवं बीमा करने का भी कार्य कर सकेगा। रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक भुगतान बैंकों को शाखा खोलने की जरूरत नहीं होगी। यह ग्राहक संपर्क केंद्रों की मदद से अपना परिचालन करने में समर्थ होगा। ग्राहक मोबाइल पर प्राप्त पासवर्ड को बैंक द्वारा दी गई मशीन में डालकर भुगतान कर सकेगा।

भुगतान बैंक के आगाज के बाद ग्राहक डेबिट कार्ड के बगैर मोबाइल की मदद से अपने खाते से रकम दुकानदार के खाते में ट्रांसफर कर सकेगा। हालांकि, भुगतान बैंक डेबिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे, जिसका इस्तेमाल सभी एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल में किया जा सकेगा। इसका यूएसपी मोबाइल के जरिये भुगतान करने में होगा। मोबाइल की मदद से भुगतान करने के लिये भुगतान बैंक टेलीकॉम मर्चेंट के साथ करारनामा करेंगे, ताकि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी सेवा का भुगतान कर सके। अब दैनिक दिनचर्या से जुड़ी जरूरतों जैसे, किराना सामान, रेस्टोरेंट का बिल, पेट्रोल आदि का भुगतान मोबाइल से किया जा सकेगा। यह विदेशी यात्रियों को फोरेक्स कार्ड एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के विविध उत्पाद मौजूदा उपलब्ध उत्पादों से सस्ती दर पर उपलब्ध करायेगा। भुगतान बैंक थर्ड पार्टी कार्ड भी जारी करेगा, जिसका नाम एप्पल रखा गया है।

वैसे बिलों का भुगतान, ट्रेन के टिकट की बुकिंग, रकम ट्रांसफर आदि कार्य को अमलीजामा पहनाना आसान है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिये रकम ट्रांसफर करने के लिये बैंक का आईएफएससी कोड डालना, खाता संख्या डालना, लाभार्थी को जोड़ना आदि कार्य करना होता है।

कहा जा रहा है कि भुगतान बैंक की नजर नकदी लेन-देन पर लगने वाले शुल्क से हर साल करोड़ों-अरबों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त करने पर है। कंपनियां लेन-देन पर 2 से 3 प्रतिशत शुल्क लगा सकेंगी। शुरू में नकदी प्रबंधन की लागत दोनों तरफ लेन-देन करने पर लगभग 2 प्रतिशत और एक तरफ हस्तांतरण करने पर तकरीबन 1 प्रतिशत होगी। देश में अभी भी 18 करोड़ परिवारों के पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं। इस आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि एक परिवार हर साल लगभग 18,000 रुपये खर्च करेंगे, जिससे उन्हें कारोबार में प्रतिवर्ष करीब 3,24,000 करोड़ रुपये हासिल होंगे, जिस पर 3 प्रतिशत की दर से लेन-देन शुल्क लगाकर वे लगभग 10,000 करोड़ रुपये हर साल कमा सकते हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के मुताबिक भुगतान बैंक पहले से मौजूद बैंकों के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, बल्कि वे उनके पूरक की तरह कार्य करेंगे। भारतीय डाकघर विभाग लगभग 154000 डाकघर के अपने विशाल नेटवर्क, जिसमें लगभग 130000 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वित्तीय समावेशन की दिशा में ये महती भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अभी भी 50 प्रतिशत भारतीयों के पास बैंक खाता नहीं है और देश के 5.94 लाख गांवों में से महज 30000 गांवों में ही बैंक हैं। मोबाइल उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या भुगतान बैंक के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है। वाकई भुगतान बैंक वित्तीय समावेशन को अमलीजामा पहनाने और लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सार्थक भूमिका निभा सकता है।

भुगतान बैंक क्षेत्र में रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिये जाने के बाद बैंकिंग क्षेत्र का दायरा ही बढ़ेगा। जिन 18 करोड़ परिवारों के पास बैंक खाते नहीं हैं, वे भुगतान बैंक के जरिये बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। डाक विभाग के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विस्तार संभव है।